उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ
(उत्तराखण्ड पी0सी0एस0 एसोसिएशन)

उत्तराखण्ड सिविल सेवा संघ
(कार्यकारी शाखा)

सेवा परमो धर्मः

–: हाल कार्यालय :–
कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर,
जनपद ऊधमसिंह नगर – 244713

अध्यक्ष
ललित मोहन रयाल

उपाध्यक्ष
डॉ0 ललित नारायण मिश्र
कुश्म चौहान

महासचिव
हरक सिंह रावत

सचिव
मनीष कुमार सिंह
दयानन्द सरस्वती

सचिव (सांस्कृतिक/आई0टी0)
हिमांशु कफल्टिया

संयुक्त सचिव
योगेश मेहरा
ऋचा सिंह

कोषाध्यक्ष
प्रत्यूष सिंह

सम्प्रेक्षक
गौरव पाण्डेय

विधि परामर्शी
नरेश दुर्गापाल
कौस्तुभ मिश्र

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (कार्मिक)
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

महोदया,

कृपया उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ के नवगठित पदाधिकारियों की ओर से संघ की बहुप्रतीक्षित/लम्बित मांगे आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही हैं। उक्त सभी मांगें न्यायोचित है, कृपया सभी मांगों पर विचार करने की कृपा करें।

–: मांग पत्र :–

(1) 8900, 8700, 7600 एवं 6600 ग्रेड पे/वेतनक्रम के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं, अर्ह अधिकारी लम्बे समय से जो उनका 'ड्यू' बनता है उसकी बाट जोह रहे हैं। कोर्ट केसेस के नाम पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जहां तक संघ को जानकारी है, किसी सक्षम न्यायालय से इस आशय का कोई स्थगन आदेश या कोई निर्णय मौजूद नहीं है। न जाने किन अज्ञात कारणों से पात्र लोगों का आई0ए0एस0 में इंडक्शन नहीं किया जा रहा है, न ही उन्हें पी0सी0एस0 सेवा में देय वेतनमान के लाभ दिये जा रहे हैं। यह दोहरी मार अंततः राज्य के लिए ही अहितकारी होगी। कमतर वेतनमान पर महादण्ड पाया अधिकारी काम कर सकता है। निष्कलंक रिकार्ड वाले अधिकारियों के साथ अगर इस तरह का बर्ताव हो रहा हो तो उनके मन में क्या गुजरती होगी। आधे–अधूरे वेतनमानों पर काम करने से और पद अनुरूप पदस्थापना न होने से संवर्ग के अधिकारियों का मनोबल रसातल की ओर जा रहा है। क्षीण मनोबल के साथ कोई संवर्ग कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। लम्बे समय से पदोन्नति में रोड़े अटकाने की वजह से संवर्ग का आधार वृहद् हो गया है। पात्र और अर्ह लोगों की मौजूदगी के रहते, उनकी नियमित प्रोन्नति न होने की वजह से पिरामिडिकल ढांचा असंतुलित ही नहीं हुआ है वरन् पूरा–का–पूरा ढांचा ही चरमरा गया है। पीड़ित पक्ष होने के बावजूद एसोसिएशन विभाग से करबद्ध अनुरोध करता है, कि अर्ह अधिकारियों को अविलंब उनके देय वेतनमानों पर प्रोन्नत करें।

(2) संवर्ग में 6600 ग्रेड पे, समयमान वेतनमान का एक स्तर है। किन्हीं वजहों से जब 2005 में सेवा संवर्ग की नियमावली प्रख्यापित हुई, वह स्तर छूट गया था, बाद में उसमें संशोधन किया गया तो उसे 50 प्रतिशत की सीमा तक बांध दिया गया। यह सीमा–बंधन 'समयमान वेतनमान' की मूल भावना के विपरीत है। जैसा कि उसके शब्द से ही स्पष्ट है कि वह वेतनमान मौद्रिक लाभ सम्बन्धित है, पद अथवा ओहदे में बढ़ोतरी से उसका कोई लेना–देना नहीं है। सेवा संवर्ग के जिस सदस्य ने 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, यह वेतनमान ब्लैंकेट सबको मिलना चाहिए। सभी सेवा संवर्गों में और अन्य प्रान्तों में भी इस तरह की व्यवस्था है। इस विसंगति को तत्काल दूर किया जाए।

(3) ज्येष्ठता सूची जारी करना–2007 और उसके बाद भर्ती अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अविलम्ब जारी की जाए। देय तिथि से उन्हें अनुमन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाऐं। ज्येष्ठता सूची के अंतिमीकरण से दोनों स्रोतों में रिक्तियों की वस्तुस्थिति ज्ञात हो जाएगी। वर्ष 2016 के बाद दोनों स्रोतों से न तो अधियाचन भेजा गया है, न ही कोई भर्ती की गई है।

(4) एक सुदृढ सेवा संवर्ग के लिए रिक्तियों के अनुसार प्रतिवर्ष भर्तियां होना जरूरी है। प्रोन्नत कोटे की डी0पी0सी0 जुलाई में हो जानी चाहिए। उसी तरह सीधी भर्ती का अधियाचन भी ससमय भेजा जाना चाहिए। पदोन्नति समय से होने से विभाग को रिक्तियों की वस्तुस्थिति का पता भी चल जाएगा। एडहॉकिज्म किसी भी सेवा का लाइलाज रोग है। उससे अनावश्यक वादग्रस्तता पैदा होती है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम निकलते हैं। पूरे संवर्ग को हर तरह की हानि उठानी पड़ती है। विभाग को आदर्श स्थिति में काम करना चाहिए। जिसका जिस तिथि से देय बनता हो, उसको उस तिथि से वास्तविक प्रोन्नति मिले न कि एडहॉक प्रमोशन।

(5) कुछ वर्षों से एक और खराब प्रवृत्ति देखने में आई है। पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों के लिए नियत पदों पर अन्य संवर्गों के लोग मनमाने तरीके से तैनात किए जा रहे हैं। वर्ष 2002 और 2005 में सेवा संवर्ग के ढांचे में नियत पदों पर तैनात गैर संवर्गीय लोगों को उनके मूलस्थान में भेजा जाए। अगर यह निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो एसोसिएशन इस मनमानेपन का पुरजोर विरोध करेगा। यह कदम शीघ्र उठा लिया जाए, जो व्यवस्था हित में होगा। दोयम दर्जे की तैनाती से व्यवस्था को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है, जनहित की उपेक्षा तो होती ही है, ओहदे की गरिमा भी तार–तार हो जाती है।

(6) जिन विभागों में विभागाध्यक्ष का पद आई0ए0एस0 संवर्ग का है, उनमें सेकेंड इन कमान का पद अनिवार्य रूप से पी0सी0एस0 संवर्ग का रहा है। आजादी से पहले से ऐसा होने का दृष्टांत रहा है। उदाहरणार्थ राज्य कर विभाग, खाद्य विभाग, आबकारी विभाग।

(7) इन दो दशकों में कुछ विभागों से सुनियोजित तरीके से पी0सी0एस0 सेवा के सदस्यों को एलिमिनेट करने की प्रवृत्ति देखी गई है। आजादी के छह दशकों तक सामान्यज्ञ अधिकारी सभी विभागों में मौजूद रहे हैं। समूचे उत्तर भारत में अभी भी यह व्यवस्था विद्यमान है, केवल उत्तराखण्ड अपवाद होता जा रहा है, यह पी0सी0एस0 सेवा के हितों पर सीधे–सीधे कुठाराघात

है। व्यवस्था में निजी नापसंदगी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कार्मिक, गृह, वित्त, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधान सभा सचिवालय।

(8) इस बीच एक दुष्प्रवृत्ति और देखने में आई है, प्राधिकरण, नगर निगम, मंडी परिषद, नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, जी0एम0वी0एन0, यूकाडा कार्यालयों में कनिष्ठ लोगों को पदस्थापित किया जा रहा है, जबकि उनसे वरिष्ठ लोग परगना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की तैनातियों के चलते फील्ड में काम करते समय कमान/हायरार्की की समस्या पैदा होती है। इस तरह की 'पिक एंड चूज' प्रवृत्ति व्यवस्था के लिए ही नहीं वरन् लोकतंत्र के लिए भी घातक है। ज्येष्ठता सूची का गठन करते हुए 'हार्ड एण्ड फास्ट' उस पर अमल किया जाना चाहिए। निजी पसंद नापसंदगी की तैनातियां राजशाही में तो हो सकती है, लोकशाही में इस तरह की तैनातियों के लिए कोई स्थान नहीं। इसका तत्काल निराकरण किया जाए।

(9) आई0ए0एस0 संवर्ग में पदोन्नत कोटा के 36 पदों में से 20 पद, वर्ष 2013 से रिक्त चले आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां होने से जहां एक ओर पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों के हित प्रभावित हो रहे है, वहीं दूसरी ओर आई0ए0एस0 संवर्ग में पद रिक्त होने से राज्य की प्रशासनिक क्षमता सीमित हुई है।

(10) विभागाध्यक्ष के पदों पर पी0सी0एस0 संवर्ग के लिए विभागों का स्पष्ट चिन्हीकरण तथा इन पदों पर संवर्गीय अधिकारियों की तैनाती की मांग की जाती है। कार्मिक में पी0सी0एस0 का अधिष्ठान कार्य आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 द्वारा ही व्यवहृत किया जाए। किसी अन्य सेवा के अधिकारी द्वारा नहीं। जब–जब दीगर सेवा के अधिकारियों ने यह जिम्मेदारी उठाई है, उसके दुष्परिणाम अभी तक देखने को मिल रहे हैं।

(11) विभिन्न आयोगों में सचिव का पद। निर्विवाद रूप से सचिव का पद राज्य सिविल सेवा संवर्ग का इन्हेरेंट पद रहा है। कतिपय आयोगों में दीगर सेवाओं के लोगों को भी सचिव बनाया जा रहा है, मजे की बात यह है कि उनके नीचे उमरदराज पी0सी0एस0 अधिकारियों को रखा जा रहा है। यह प्रवृत्ति असहनीय से ज्यादा सोचनीय है।

(12) सचिवालय में पी0सी0एस0 संवर्ग के प्रवेशी अधिकारियों के लिए लिए उपसचिव/संयुक्त सचिव के पदों का प्रावधान किया जाए। इससे जहां एक ओर सचिवालय प्रशासन में मजबूती आएगी, वहीं दूसरी ओर नवप्रवेशी अधिकारियों को नीति निर्धारण हेतु दक्ष बनाया जा सकता है।

(13) DoPT भारत सरकार की तर्ज पर, पी0सी0एस0 संवर्ग हेतु 5/12/20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर Mid Career Training तथा प्रत्येक वर्ष IIM/IRMA/TISS जैसे संस्थानों मैं संवर्गीय अधिकारियों हेतु State Sponsored MBA आदि प्रशिक्षण संचालित करने की मांग की जाती है।

(14) संवर्ग के सभी अधिकारियों के लिए Service I-Card/ CSI की सदस्यता/Law and order Duty में तैनात अधिकारियों को PSO तथा follower की व्यवस्था। फील्ड स्तरीय अधिकारी लम्बे समय से खटारा गाड़ियों से काम चला रहे हैं। समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्कॉर्पियो जैसी मजबूत गाड़ियां अनुमन्य की गई है, वही परगना अधिकारी दूसरे विभागों से खींची गई कंडम बोलेरो जैसी गाड़ियों में धक्के खा रहे हैं। जिस अनुपात में हमारे अधिकारियों से श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीदें रहती हैं, उसके लिए कम–से–कम समतुल्य अधिकारी के बराबर भौतिक साधन तो दिए ही जाने चाहिए।

(15) संघ अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित अधिकारियों की तत्काल कार्यमुक्ति की मांग करता है।

चलते–चलते राजधर्म से सम्बन्धित एक श्लोक याद आ रहा है :–

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ।।
– अर्थशास्त्र (कौटिल्य)

प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, अर्थात् जब प्रजा सुखी अनुभव करे तभी राजा को संतोष करना चाहिए। प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। वैयक्तिक स्तर पर राजा को जो अच्छा लगे, उसमें उसे अपना हित न देखना चाहिए, बल्कि प्रजा को जो ठीक लगे, यानी जिसके हितकर होने का प्रजा अनुमोदन करे, उसे ही राजा अपना हित समझे।

23.04.2021

ह0/–
हरक सिंह रावत
महासचिव

ललित मोहन रयाल
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को माननीय मुख्यमंत्री जी के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23.04.2021

ह0/–
हरक सिंह रावत
महासचिव

ललित मोहन रयाल
अध्यक्ष